



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 / 06 मार्गशीर्ष, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 25 नवम्बर, 2024

संख्या: एल.एल.आर.—डी.(6)—6 / 2024—लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के  
अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन)  
183—राजपत्र / 2024—27—11—2024 (9013)

विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को दिनांक 22-11-2024 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2024 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,  
सचिव (विधि)।

#### 2024 का अधिनियम संख्यांक 8

##### हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024

###### धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 20 का प्रतिस्थापन।
4. धारा 122क का अंतःस्थापन।
5. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 का संशोधन।

#### 2024 का अधिनियम संख्यांक 8

##### हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 नवम्बर, 2024 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से 4 ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगी, जैसी सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. धारा 2 का संशोधन।**—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (61) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(61) इनपुट सेवा वितरक” से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी हैं”;

**3. धारा 20 का प्रतिस्थापन.**—मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति—(1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर केंद्रीय कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्घरण के अधीन सेवाओं के संबंध में केंद्रीय या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा ।

(3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा ।”।

**4. धारा 122क का अंतःस्थापन.**—मूल अधिनियम, की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“122क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उप-धारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,—

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है, और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ।”।

5. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 का संशोधन।—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) धारा एं 2 से 15 और 21 से 27, तारीख प्रथम अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी;

(ख) धारा एं 16 से 20, तारीख प्रथम अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।”।

#### *AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Act No. 8 of 2024**

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)  
ACT, 2024**

**ARRANGEMENT OF SECTIONS**

*Sections:*

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Substitution of section 20.
4. Insertion of section 122A.
5. Amendment of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2<sup>nd</sup> Amendment) Act, 2023.

**Act No. 8 of 2024.**

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)  
ACT, 2024**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND NOVEMBER, 2024)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) Save as otherwise provided, sections 2 to 4 shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

**2. Amendment of Section 2.**—In section (2) of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the “principal Act”), for clause (61), the following clause shall be substituted, namely:—

“(61) “Input Service Distributor” means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;”.

**3. Substitution of Section 20.**—For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

**“20 Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.**—(1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Services Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of central tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of central or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Services Distributor, in such manner, within such time and subject to such restriction and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of state tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or state tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed.”.

**4. Insertion of Section 122A.**—After section 122 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

**“122A Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.**—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where—

- (a) the penalty so imposed is paid; and
- (b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.”.

**5. Amendment of Section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2<sup>nd</sup> Amendment) Act, 2023.**—In section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2<sup>nd</sup> Amendment) Act, 2023, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) save as otherwise provided in the Act,—

- (a) sections 2 to 15 and 21 to 27, shall be deemed to have come into force on 1<sup>st</sup> day of October, 2023;
- (b) sections 16 to 20 shall be deemed to have come into force on 1<sup>st</sup> day of August, 2023.”.

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कुन्तो पुत्री स्व० श्री माधो, गांव डमूई, डा० सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)  
वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5689/2024, दिनांक 12-11-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/20668, दिनांक 08-11-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका कुन्तो पुत्री स्व० श्री माधो, गांव डमूई, डा० सन्धी, ग्राम पंचायत दुलाहर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कुन्तो पुत्री स्व० श्री माधो, गांव डमूई, डा० सन्धी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 08-11-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कुन्तो पुत्री स्व० श्री माधो, गांव डमूई, डा० सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 12-10-1984 जन्म एवं मृत्यु

पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कुन्तो पुत्री स्व0 श्री माधो, गांव डमूई, डा० सन्धी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–11–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम, गांव कन्डयालू डा० चकलू उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने वारे।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5670/2024, दिनांक 11–11–2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य विकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/20191, दिनांक 29–10–2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) शिक्षा प्रमाण–पत्र, (8) पैन कार्ड जिसमें आवेदक सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम, गांव कन्डयालू डा० चकलू ग्राम पंचायत चकलू उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम, गांव कन्डयालू डा० चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 29–10–2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम, गांव कन्डयालू डा० चकलू उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 30–03–1986 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक सुरजीत कुमार पुत्र श्री परस राम, गांव कन्डयालू डा० चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

दुर्गेश देवी पुत्री श्री ठेलू राम, गांव कुठार, डाठो कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)  
गादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने वारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5239/2024, दिनांक 08-11-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (१) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/20605, दिनांक 07-11-2024, (२) शपथ पत्र आवेदिका, (३) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (४) जन्म रिपोर्ट, (५) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (६) आधार कार्ड, (७) परिवार रजिस्टर नकल, (८) पी०पी०ओ०, (९) राशन कार्ड जिसमें आवेदिका दुर्गेश देवी पुत्री श्री ठेलू राम, गांव कुठार, डाठो कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका दुर्गेश देवी पुत्री श्री ठेलू राम, गांव कुठार, डाठो कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 07-11-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दुर्गेश देवी पुत्री श्री ठेलू राम, गांव कुठार, डाठो कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 20-10-1944 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(३) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका दुर्गेश देवी पुत्री श्री ठेलू राम, गांव कुठार, डाठो कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कमला पुत्री श्री लच्छो, गांव हडौट, डा० झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)

वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4968/2024, दिनांक 26-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/19182, दिनांक 06-12-2023, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) बी०पी०एल० प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका कमला पुत्री श्री लच्छो, गांव हडौट, डा० झुलाड़ा, ग्राम पंचायत दुलाहर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका कमला पुत्री श्री लच्छो, गांव हडौट, डा० झुलाड़ा का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 06-12-2023 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कमला पुत्री श्री लच्छो, गांव हडौट, डा० झुलाड़ा, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1963 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कमला पुत्री श्री लच्छो, गांव हडौट, डा० झुलाड़ा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० :

72/2024 ना० तह० वाचक उप० तह० पुखरी/2024/

तारीख दायर :

13-11-2024

आशा देवी पुत्री श्री चरण दास, गांव बटवाड़, परगना राजनगर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

---

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

आशा देवी पुत्री श्री चरण दास, गांव बटवाड़, परगना राजनगर, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन—पत्र व व्यानहल्फी पेश किया है कि मेरा नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में आशा देवी पुत्री श्री चरण दास दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सिध़ व नन्दलेरा, पटवार वृत्त तौसा, उप—तहसील पुखरी में मेरा नाम लीला पुत्री चरण दास दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का व्यानहल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुख्ती मुनादी व चर्सांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम लीला पुत्री चरण दास की जगह लीला उर्फ आशा देवी पुत्री श्री चरण दास दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त तौसा को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13—11—2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

---

### In the Court of Sh. Kartar Chand, Sub-Divisional Magistrate Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

Smt. Nepali Devi d/o Sh. Bajeer, r/o Vill. Gherguhan, P.O. Boh, Sub-Tehsil Darini, Distt. Kangra (H.P.) . . . Applicants.

*Versus*

- 1. General Public
- 2. Local Registrar, Gram Panchayat Har Boh . . . Respondents.

*Subject.*—Regarding delayed registration of death event u/s 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Nepali Devi d/o Sh. Bajeer, r/o Vill. Gherguhan, P.O. Boh, Sub-Tehsil Darini, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application u/s 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that above applicant's birth (15th July 1950) has not been entered/recorded in Gram Panchayat Har Boh records due to unawareness of her parents as per affidavit alongwith application filed by the applicant.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of delayed birth event of applicant

Smt. Nepali Devi, can file an objection personally or in writing before this court on or before 11-12-2024. After that no objection will be entertained and delayed date of birth will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-  
(KARTAR CHAND),  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate Excercising the Power of Marriage Officer,  
Jawalamukhi, Distt. Kangra, H.P.**

In the matter of:

Smt. Susharma Devi wd/o Late Sh. Jagjeet Chand, r/o Village Amred, P.O. & Tehsil Majheen, Distt. Kangra, H.P. ..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Subject.*—Notice for registration of Marriage under section 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

The above applicants have filed an application u/s 8(4) of H.P Registration of Marriage Act, 1996, alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which she has stated that my marriage was solemnized with Late Sh. Jagjeet Chand s/o Kuldeep Singh, r/o Village Amred, P.O. & Tehsil Majheen, Distt. Kangra, H.P. on 31-01-1979 at Village Hor, P.O. Khabli, Tehsil Dehra, Distt. Kangra, H.P. according to Hindu Rites & Customs in the presence of relatives and friends but due to lack of knowledge said marriage has not been registered in the Gram Panchayat Faled. Hence the direction of registration of marriage may be issued to concerned Secretary of Gram Panchayat.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 05-12-2024 at 11.00 A.M. The objection (s) after 05-12-2024 will not be entertained by this office and then the order of registration of said marriage issued according as per the law prescribed.

Issued on this 1st day of November, 2024 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-  
*Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer  
Jawalamukhi, Distt. Kangra, H.P.*

**In the Court of Sh. Vikas Shukla, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Arvind Kumar s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village & P.O. Phatahar, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.).
2. Anuradha d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Seribehar, P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).  
.....Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.*

Arvind Kumar and Anuradha have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-10-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-12-2024. The objection received after 11-12-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-11-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Kullu, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vikas Shukla, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Tinku s/o Sh. Deepak, r/o Village Jatehar Bihal, P.O. Katrain, Tehsil & District Kullu (H.P.).
2. Nandini d/o Sh. Khem Raj, r/o VPO Burua, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).  
.....Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.*

Tinku and Nandini have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-10-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-12-2024. The objection received after 11-12-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-11-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Kullu, District Kullu (H.P.).*

---

**In the Court of Sh. Vikas Shukla, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Rahul s/o Sh. Multan Singh, r/o House No. 674, Sector 40, VTC Chandigarh, P.O. Sector 36, Sub-District Chandigarh-160 036.

2. Ravita Katoch d/o Sh. Kishori Lal Katoch, r/o VPO Mohal, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.)

*Versus*

General Public

*Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.*

Rahul and Ravita Katoch have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-11-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-12-2024. The objection received after 06-12-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 07-11-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Kullu, District Kullu (H.P.).*

---

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,  
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Kunal Puri s/o Late Dr. Ramesh Kumar Puri, r/o H. No. 98/7, Samkhetar Bazar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Monisha Duggal d/o Sh. Manjeet Kaur Duggal, r/o Rani Villa Bagrian House, Strainberry Hills, Chotta Shimla, P.O. Shimla, District Shimla (H.P.) ..Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Kunal Puri s/o Late Dr. Ramesh Kumar Puri, r/o H. No. 98/7, Samkhetar Bazar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) & Smt. Monisha Duggal d/o Sh. Manjeet Kaur Duggal, r/o Rani Villa Bagrian House, Strainberry Hills, Chotta Shimla, P.O. Shimla, District Shimla (H.P.) [at present w/o Sh. Kunal Puri s/o Late Dr. Ramesh Kumar Puri, r/o H. No. 98/7, Samkhetar Bazar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-10-2024 according to Hindu rites and customs at their respective houses, Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-12-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5th day of November, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sadar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,  
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Tinku Soda s/o Sh. Krishan Pal, r/o House No. 4/13, Changer, P.O. BBMB Colony, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).
2. Simran d/o Sh. Vikram, r/o Ramdarbar, Indira Awas Colony, Near Ravidas Mandir, Phase-1, Ram Darbar, Chandigarh, Industrial Post Office Chandigarh-160 002 [at present w/o Sh. Tinku Soda s/o Sh. Krishan Pal, r/o House No. 4/13, Changer, P.O. BBMB Colony, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)] . . . Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Tinku Soda & Simran applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 14-12-2022 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-12-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 05-11-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

समक्ष संजीव गुप्ता ब अखिलयार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,  
जिला शिमला (हिंगो)

मुकद्दमा संख्या : 49 / 2024

तारीख मरजुआ : 05-07-2024

तारीख पेशी : 31-12-2024

श्रीमती अंजना पुत्री रोशन लाल पत्नी सुरेन्द्र कोहली, निवासी House No. 6 Josh Annery Jain  
Dharamshala area Middle Bazaar Shimla प्रार्थिया।

बनाम

1. श्रीमती कविता पुत्री नित्या नन्द, 2. श्रीमती सीता देवी पत्नी अमरजीत सिंह, 3. श्री राम लाल पुत्र दतिया, 4. श्रीमती बीना देवी पत्नी ईन्द्र सिंह, निवासी गांव/मोहाल शीलगांव, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिं0 प्र० प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 37/61, खसरा नं० 86, रकबा तादादी 06—19—87 है०, उप—मोहाल/मौजा शीलगांव, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हिं०प्र०)।

प्रार्थना—पत्र श्रीमती अंजना पुत्री रोशन लाल पत्नी सुरेन्द्र कोहली, निवासी House No. 6 Josh Annery Jain Dharamshala area Middle Bazaar Shimla, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हिं०प्र०) ने न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम खाता/खतौनी नं० 37/61, खसरा नं० 86, रकबा तादादी 06—19—87 है०, उप—मोहाल/मौजा शीलगांव, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं० 1 ता 4 की तामील साधारण तरीके से संभव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा उक्त प्रतिवादी नं० 1 ता 4 को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 31—12—2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22—11—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हिं० प्र०)।

### ब अदालत उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शाहिदा बैगम पत्नी मोहम्मद अनवर, निवासी कुम्बडा, डा० देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

#### बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत देवत, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिं० प्र०
2. आम जनता।

ग्राम पंचायत देवत में मृत्यु रजिस्टर में मृतक श्री सादिक मोहम्मद पुत्र अबदुल करीम, निवासी कुम्बडा, डा० देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिं० प्र० की मृत्यु का इन्द्राज दिनांक 27—10—2023 करने बारे प्रार्थना—पत्र।

इस नोटिस/इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शाहिदा बैगम पत्नी मोहम्मद अनवर, निवासी कुम्बडा, डा० देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके ससुर सादिक मोहम्मद पुत्र अबदुल करीम की मृत्यु दिनांक 27—10—2023 को ग्राम कुम्बडा, तहसील चौपाल में हुई थी। अज्ञानतावश मृतक ससुर की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत देवत के मृत्यु रजिस्टर में नहीं करवा सके। प्रार्थना—पत्र के साथ प्रपत्र—2, प्रपत्र संख्या—10, नकल परिवार रजिस्टर, 3 शपथ पत्र व तलवाना नामा संलग्न किया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसके मृतक ससुर श्री सादिक मोहम्मद पुत्र अबदुल करीम की मृत्यु दिनांक 27—10—2023 का इन्द्राज ग्राम पंचायत देवत में अंकित करने के आदेश पारित किए जाएं।

यदि आम व खास को मृतक श्री सादिक मोहम्मद पुत्र अबदुल करीम, निवासी कुम्हडा, डा० देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत देवत के मृत्यु रजिस्टर में दिनांक 27-10-2023 को दर्ज करने पर कोई उजर एवं एतराज हो तो दिनांक 13-12-2024 को या इससे पूर्व लिखित या मौखिक जैसी भी सूरत हो प्रस्तुत करें। दीगर सूरत में मृतक सादिक मोहम्मद पुत्र अबदुल करीम, निवासी कुम्हडा, डा० देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत देवत, तहसील चौपाल के मृत्यु रजिस्टर में अंकित करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप—मण्डल दण्डाधिकारी,  
चौपाल, जिला शिमला (हि०प्र०)।

### ब अदालत उप—मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री नजीर अहमद पुत्र हमीर हमजा, निवासी ग्राम दाढ़ी, डा० पौड़िया, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

Application for correction of name and date of birth in the Aadhar Card.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री नजीर अहमद पुत्र हमीर हमजा, निवासी ग्राम दाढ़ी, डा० पौड़िया, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम आधार कार्ड में सावर दीन तथा जन्म तिथि 01-07-1992 दर्ज की गई है जोकि गलत है। उसका सही नाम नजीर अहमद तथा जन्म तिथि 10-03-1995 है। आधार कार्ड में सावर दीन के स्थान पर नजीर अहमद व जन्म तिथि 01-07-1992 के स्थान पर 10-03-1995 दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएं। प्रार्थना—पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की गई है।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को सावर दीन के स्थान पर नजीर अहमद व जन्म तिथि 01-07-1992 के स्थान पर 10-03-1995 दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 13-12-2024 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। दीगर सूरत में नाम व जन्म तिथि आधार कार्ड हेतु ओदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप—मण्डल दण्डाधिकारी,  
चौपाल, जिला शिमला (हि०प्र०)।

9030

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 नवम्बर, 2024 / 06 मार्गशीर्ष, 1946

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बबीता पत्नी ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम औली, डा० भराणू तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

Application for correction of name and date of birth in the Aadhar Card & Pariwar Ragister.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती बबीता पत्नी ज्ञान सिंह, निवासी ग्राम औली, डा० भराणू तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर में बैबी तथा जन्म तिथि 01-07-1971 दर्ज की गई है जोकि गलत है। उसका सही नाम बबीता तथा जन्म तिथि 01-02-1975 है। आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर में बैबी के स्थान पर बबीता व जन्म तिथि 01-07-1971 के स्थान पर 01-02-1975 दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएं। प्रार्थना-पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की गई है।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को बैबी के स्थान पर बबीता व जन्म तिथि 01-07-1971 के स्थान पर 01-02-1975 दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 13-12-2024 को या इससे पुर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। दिगर सूरत में नाम व जन्म तिथि आधार कार्ड हेतु ओदश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
चौपाल, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला,  
हिमाचल प्रदेश

श्री राहुल देव पुत्र श्री पदम देव, ग्राम निवासी शवाला, डा० रुसलाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.— 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने वारे।

प्रार्थी श्री राहुल देव पुत्र श्री पदम देव, ग्राम निवासी शवाला, डा० रूसलाह, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पुजारली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत पुजारली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जो कि इस प्रकार से है:-

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	राहुल देव	स्वयं	20-10-2021

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत पुजारली को उपरोक्त व्यक्ति के नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज तारीख 13-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(विनोद कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला,  
हिमाचल प्रदेश

अली मोहम्मद पुत्र श्री अजीजो दीन, ग्राम निवासी मूलशाक, डा० भराणू तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुजारली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी अली मोहम्मद पुत्र श्री अजीजो दीन, ग्राम निवासी मूलशाक, डा० भराणू तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्रों व पुत्रीयों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुजारली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाए हैं तथा प्रार्थी अब अपने

9032

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 नवम्बर, 2024 / 06 मार्गशीर्ष, 1946

पुत्रों व पुत्रीयों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुजारली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता हैः—

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	मोहम्मद उवैस	पुत्र	01-02-2008
2.	मोहम्मद उमेर	पुत्र	01-01-2010
3.	फातिमा	पुत्री	18-12-2015
4.	उम्मे ऐमन	पुत्री	21-11-2017

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पुजारली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 12-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(विनोद कुमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-(Naib-Tehsildar), Majra,  
District Sirmaur (H.P.)

Case No.: 24/2024

Date of Instt.: 04-11-2024

Date of Decision: 04-12-2024

Smt. Aamna Begum d/o Sh. Shareef Mohammad, r/o Village & P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) ..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.*

Smt. Aamna Begum d/o Sh. Shareef Mohammad, r/o Village & P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 22-08-1981 at Village & P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.), but her date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration Gram Panchayat Majra, Sub-Tehsil Majra, for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Aamna Begum d/o Sh. Shareef Mohammad & Smt. Ulfat, may submit their objections in writing in this court on or before 04-12-2024 at 10.00 AM, failing which, no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 4th day of November, 2024.

Seal.

Sd/-  
(INDER KUMAR),  
*Executive Magistrate (Naib Tehsildar),  
Majra, District Sirmaur (H.P.)*

**Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-(Naib-Tehsildar), Majra,  
District Sirmaur (H.P.)**

Case No.: 25/2024

Date of Instt.: 04-11-2024

Date of Decision: 04-12-2024

Smt. Mariya w/o Sh. Bhura, r/o Village & P.O. Kolar, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.)  
..Applicant.

*Versus*

General Public

..Respondent.

*Application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.*

Smt. Mariya w/o Sh. Bhura, r/o Village & P.O. Kolar, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughters namely Bano born on 04-05-2013 & Tabu born on 06-06-2016 at Village & P.O. Kolar, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.), but their date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Kolar, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration Gram Panchayat Kolar, Sub-Tehsil Majra, for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Bano & Tabu d/o Sh. Bhura &

9034

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 नवम्बर, 2024 / 06 मार्गशीर्ष, 1946

Smt. Mariya, may submit their objections in writing in this court on or before 04-12-2024 at 10.00 AM, failing which, no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 4th day of November, 2024.

Seal.

Sd/-

(INDER KUMAR),  
Executive Magistrate (Naib Tehsildar),  
Majra, District Sirmaur (H.P.)

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rajgarh, District Sirmaur (H.P.)**

In the matter of:

Ved Prakash Sharma, Service No. JC 812052K Rank Sub INT/GD s/o Sh. Lachchhami Nand, r/o Village Kheri Road Rajgarh, P.O. & Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P.

..Applicant.

*Notice to general Public.*

Whereas, Ex-Army No. JC812052K, Rank Sub INT/GD, Name Sh. Ved Prakash Sharma s/o Sh. Lachchhami Nand, r/o Village Kheri Road Rajgarh, P.O. & Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P. has submitted an application supported by an affidavit stating that the undersigned seeks correction of the name and date of birth entered erroneously in the Army records, The incorrect enteries are Laxminand (01-04-1943) & Champa Devi (01-04-1945) for the applicant's father & mother, respectively. The correct enteries should be Lachchhami Nand (02-02-1948) & revati Devi (01-01-1950) at the above mentioned address in the Army records.

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed any person having any objection for entry of name and date of birth mentioned above may submit his objections in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official gazette, no objection while be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court today on 8th day of November, 2024.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,  
Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Khushi Nee Sumita d/o Sh. Amar Singh, VPO Trehla, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is Sumita w/o Arjun Singh is wrongly mentioned. I have devorced my husband on dated 19-02-2024, after devorce my correct name is Khushi Nee Sumita d/o Amar Singh and correct address is VPO Trehla, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra. All concerned please note.

KHUSHI NEE SUMITA  
*d/o Sh. Amar Singh,  
VPO Trehla, Tehsil Jaisinghpur,  
District Kangra (H.P.).*

### CHANGE OF NAME

I, Tota Ram s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Kadog, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that the correct name of my son is Nitin Bansal. That as per the Aadhar Card of my son his name is wrongly entered as Vikas while as per his school record his name is entered as Nitin Bansal. In future the name of my son is read as Nitin Bansal instead of Vikas for his all affairs and intents and same may be entered in his Aadhar Card as Nitin Bansal.

TOTA RAM  
*s/o Sh. Sant Ram,  
r/o Village Kadog, P.O. Basantpur,  
Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).*

### CHANGE OF NAME

I, Kavya Choudhary s/o Sh. Ram Prasad born on 14-10-2005 residing at Village Har, P.O. Sathana, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.)-176025 have changed my name from Kavya to Kavya Choudhary *vide* affidavit No. 547 dated 29-10-2024

KAVYA CHOURDHARY  
*s/o sh. Ram Prasad  
residing at Village Har, P.O. Sathana,  
Tehsil Fatehpur, District Kangr, (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Judhya Devi w/o Sh. Prabhu Ram, r/o Village Mundkhar Tulsi, P.O. Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Ajudhya Devi to Judhya Devi for all purposes in future. Please note.

JUDHYA DEVI  
*w/o Sh. Prabhu Ram ,  
r/o Village Mundkhar Tulsi, P.O.  
Mundkhar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

*[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-F002/3/2023 dated 25-11-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

**URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION**

*Shimla-2, 25th November, 2024*

**No. UD-F002/3/2023.**—In exercise of the powers conferred by the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 read with Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) and Advisory, 2019 convened by Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, the advisory in para 3.1 (a) of Chapter-4 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette the following Responsible Sanitation Authority (RSA) in Urban Local Bodies:—

Designation	Role
District Magistrate of concerned Urban Local Bodies of Himachal Pradesh.	Responsible Sanitation Authority (RSA).

The aforesaid Responsible Sanitation Authority (RSA) is notified in the State of Himachal Pradesh to eliminate the hazardous manual cleaning of sewers and septic tanks-Safai Mitra Surakshit Sehar.

By order,  
Sd/-  
(DEVESHE KUMAR)  
*Pr. Secretary (UD).*